

नायब तहसीलदार
न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

पत्रावली संख्या 74/2022 तारीख दिनांक 20.11.22 दिनांक निर्णय 29.11.22

उपरोक्त


रिपोर्ट पटवारी हल्का पुल्की बनाम श्रीताराम पुत्र जगवान सहाय जाति केरवा निवासी घोसडा


आज पत्रावली मु. राजगढ़ पेश हुई। गैरसायल उप/अब्जु. जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिकर्मी का स. 206/2022 का नया कब्जा होना साधित होता है। अतिकर्मी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि-

गैरसायल श्रीताराम पुत्र जगवान सहाय जाति केरवा निवासी घोसडा को आराजी खसरा नं. 361 रकबा 0.07^{1/2} किस्म चारगाहवाके ग्राम घोसडा (कसडा) से बेदखल किया जाता है तथा शरह लगान 1.00 की 50 गुणा में मु. 50/22 पत्रावली मु. राजगढ़ कायमी कराई जावे TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा लावे।

फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावे।


नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2022-23
के पृष्ठ संख्या 21 पत्रावली मु. 50/-
राशि कायम किये गये।

स. रा. लेखाकार